प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
कानपुर नगर।

सेवा मे,

प्रबन्धक,
सेठ एम0आर0 जयपुरिया स्कूल,
नारामऊ, कानपुर नगर

पत्रांक/प्र0श्रे0लि0–4/ 21362–70 /2022–23 दिनांक 31 मार्च 2023

विषयः–सेठ एम0आर0 जयपुरिया स्कूल, नारामऊ, कानपुर नगर को प्री से कक्षा 8 तक की स्थाई मान्यता के सम्बन्ध मे।

महोदय,

कार्यालय के पत्रांक/प्र0श्रे0लि0–4/32065–74/2018–19 दिनांक 30–11–2018 के द्वारा, सेठ एम0आर0 जयपुरिया स्कूल, नारामऊ, कानपुर नगर को प्री से कक्षा 8 तक "अग्रेजी माध्यम" को सत्र 2018–19 से आगामी तीन शैक्षिक सत्र तक के लिये मान्यता प्रदान की गई थी। आपके पत्र के द्वारा किये गये प्रार्थना–पत्र के क्रम में खण्ड शिक्षा अधिकारी/जॉच अधिकारी के द्वारा आख्या प्रस्तुत की गयी है।

उक्त आख्या के आधार पर निम्न विवरण के अनुसार विद्यालय को प्रदान की गयी अनन्तिम मान्यता, आदेश निर्गमन तिथि से तीन वर्ष की अवधि पूर्ण होने के फलस्वरूप विद्यालय संचालन की अनुमति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि नवीन शासनादेश संख्या 89/अडसठ–3–2018–2041/2018 दिनांक 11 जनवरी 2019 के प्रस्तर –2–(1) में वर्णित शर्तो (यथासंशोधित) का पालन निर्धारित समय के अन्तर्गत किया जाना अनिवार्य होगा।

क्र0सं0	विद्यालय का नाम व पता	विकासखण्ड का नाम	मान्यता का माध्यम	मान्य कक्षाएं	मान्यता आदेश संख्या व दिनांक
1	2	3	4	5	6
1	सेठ एम0आर0 जयपुरिया स्कूल, नारामऊ, कानपुर नगर	शास्त्रीनगर	अग्रेजी माध्यम	प्री से कक्षा 8 तक	पत्रांक/प्र0श्रे0लि0–4/32065–74/2018–19 दिनांक 30–11–2018

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
कानपुर नगर।

पृ0सं0/प्र0श्रे0लि0–4/ —— /2022–23 तद्दिनांक

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– शिक्षा निदेशक (बे0) उ0प्र0 निशातगंज लखनऊ।
2– सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज।
3– मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बे0) कानपुर मण्डल कानपुर।
4– जिला समाज कल्याण अधिकारी कानपुर नगर।
5– जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कानपुर नगर।
6– जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी कानपुर नगर।
7– सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी कानपुर नगर।
8– कार्यालय गार्ड फाइल।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
कानपुर नगर।